अति0 आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ–1(6)/चि.प्र./गणतंत्र दिवस/2024/01 दिनांक 3/1/2024

1 **समस्त प्रधानाचार्य नियंत्रक एवं अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय,**
2 **समस्त संयुक्त निदेशक, जोन,**
3 **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,**
4 **समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,**
राजस्थान।

विषयः– निदेशालय स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों को **गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2024)** पर आयोजित समारोह में ***प्रशस्ति पत्र*** प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि निदेशालय स्तर पर दिनांक **26 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाले *गणतंत्र दिवस समारोह*** में राज्य सेवा में उत्कृष्ट श्रेणी कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाना प्रस्तावित हैं।

उक्त क्रम में आप द्वारा राज्य के चिकित्सा संस्थानों/कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव का, परीक्षण कर आवेदनकर्ता की न्यूनतम 3 वर्षों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन मय अपनी स्वपूरक टिप्पणी सहित प्रेषित किया जाना हैं। उक्त टिप्पणी के अभाव में आवेदन को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नही किया जायेगा। आपके द्वारा अधिकतम 01 राजपत्रित एवं 01 अराजपत्रित कार्मिक का नाम नामित कर संलग्न प्रपत्र में विवरण भरकर निदेशक (जन स्वा.) को ईमेल award.adhadmhs@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा जिले से 02 नाम सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, जोन एवं प्रधानाचार्य/अधीक्षक (सम्बन्धित चिकित्सा महाविधालय/चिकित्सालय) के माध्यम से उक्तानुसार 02 नाम अंतिम निर्णय हेतु राज्य स्तरीय कमेटी को प्रेषित किये जायेगें।

अतः उक्त आवेदन मय संलग्न प्रपत्र दिनांक 12.01.2024 तक उक्त माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्न :– 1. आवेदन प्रपत्र
2. दिशा निर्देश

(डॉ0 रविप्रकाश माथुर)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ–1(6)/चि.प्र./गणतंत्र दिवस/2024/01 दिनांक 3/1/24.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त (राजमेस/खाद्य सुरक्षा/औषधि), मुख्यालय।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा), मुख्यालय।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, राजस्थान।
6. समस्त चिकित्सा अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को लेख है कि राज स्वास्थ्य की विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें व संबंधित को E-mail करना सुनिचित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5266318

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR
Designation: Director
Date :02-01-2024 05:51:51

दिशा–निर्देश

26 जनवरी 2024 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा गत वर्ष में किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कमेटी एवं मानदण्ड (Criteria) निर्धारित किया जाना प्रस्तावित हैं :–

कमेटी :–

1. जिला स्तर

1. संयुक्त निदेशक (जोन)
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. अति/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.)/ जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
4. लेखा संवर्ग/मंत्रालयिक संवर्ग का अधिकारी

2. राज्य स्तर

1. निदेशक (जन. स्वा./आरसीएच/एड्स)
2. अति0 निदेशक (चि.प्र./आरएच)
3. संयुक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित)
4. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय)

पुरूस्कार हेतु चयन किये जाने के मानदण्ड :–

1. चिकित्सा – ओपीडी, आईपीडी एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता एवं उपलब्धि।
2. नर्सिंग स्टाफ – परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, एनसीडी एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता एवं उपलब्धि।
3. मंत्रालयिक संवर्ग – पीयूसी के निष्पादन एवं बकाया पीयूसी एवं लेखा सम्बन्धी कार्य में निस्तारण की प्रगति।
4. लेखाकर्मी – लेखा सम्बन्धी कार्य (बीएफसी के प्रस्ताव, बजट की मांग एवं विभिन्न भुगतान) निस्तारण की प्रगति।
5. सूचना सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर – पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में प्रविष्टी की स्थिति।
6. अधिकारी/कर्मचारी/कार्मिक के विरूद्व कोई विभागीय जॉच विचाराधीन ना हो।
7. अधिकारी/कर्मचारी/कार्मिक को हाल ही में किसी दण्ड से दण्डित नही किया गया हो।
8. गत तीन वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हो तथा कार्य बहुत अच्छा/उत्कृष्ट हो ।
9. गत एक वर्ष में उनका कार्य एवं व्यवहार अच्छा रहा हो ।
10. गत तीन वर्षो में जिन्हें राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा चुका हैं, उनके नाम नही भिजवाये जाये।

RajKaj Ref
5266336

इसके साथ ही यदि अधिकारी/कर्मचारी/कार्मिक ने पूर्व में किसी प्रकार का पुरूस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया हो तो उसका उल्लेख भी किया जावे साथ ही नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्मिक के कार्य एवं व्यवहार के लिए टिप्पणी आवश्यक हैं।

आवेदन प्रपत्र

26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर निदेशालय स्तर पर प्रशस्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र

आवेदनकर्ता का विवरण

क्र.सं.	विवरण		
	नाम		
	पिता का नाम		
	पदनाम		
	जन्म तिथि		
	टेलिफोन नं0		
	निवास का पता		
	राजकीय कार्य में नियुक्ति का प्रकार (नियमित/संविदा)		
	राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक		
	एसएसओ आई.डी.		
	सेवा का नाम (राजपत्रित/अराजपत्रित)		
	वर्तमान वेतन एवं पे–मैट्रिक्स लेवल सहित		
	वर्तमान पद पर नियुक्ति की दिनांक मय आदेश की प्रति		
	पदस्थापन चिकित्सा संस्थान/कार्यालय का नाम		
	प्रशस्ति पत्र हेतु चयन किये जाने का कारण		

सम्बन्धित उच्चाधिकारी (बीसीएमओ/पीएमओ/अनुभाग अधिकारी) द्वारा की जाने वाली टिप्पणी

	वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन विवरण (विगत 3 वर्ष)				
	आवेदनकर्ता के विरूद्ध जांच/शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण का विवरण (यदि हैं तो)				
	पूर्व में प्राप्त अन्य कोई प्रमाण पत्र का विवरण (यदि हैं तो)				
	अन्य कोई सुसंगत सूचना				
	संयुक्त निदेशक/सीएमएचओ/सम्बन्धित अधिकारी की अनुशंषा				

निदेशालय कमेटी द्वारा की जाने वाली अनुशंषा

RajKaj Ref
5266501

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR
Digital Signature of RAVI PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :02-01-2024 05:51:25